9-9-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-10-19 को पेश हो।

रीडर

7-10-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-11-2019 को पेश हो।

रीडर

8-11-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-11-19 को पेश हो।

रीडर

28-11-19 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 3-12-19 को पेश हो।

3-12-2019 वकील उभयपक्ष उप०। वादीगण का दावा बवजह राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
42/2019	15.3.2019	3-12-2019

1. सीता बेबा भरोसी, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. कु0 रीना पुत्री भरोसी, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. गोविन्द पुत्र भरोसी उम्र 15 साल | नाबालिगान जरिए सरक्षक मॉ
4. कु0 सपना पुत्री भरोसी उम्र 11 साल | सीता बेबा भरोसी, गुर्जर
5. कु0 सीमा पुत्री भरोसी उम्र 17 साल | नि0 मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. संतो बेबा किशनलाल, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. पार्वती बेबा शिवचरण, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवचरण, उम्र 16 साल, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी जरिए संरक्षक मॉ पार्वती बेबा शिवचरण
4. कु0 निशा पुत्री शिवचरण, उम्र 11 साल, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी जरिए संरक्षक मॉ पार्वती बेबा शिवचरण
5. कु0 रचना पुत्री शिवचरण, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
6. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्तीएवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम , एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री संतोष निराला, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज किशनलाल की संताने है। किशनलाल के दो पुत्र शिवचरण व भरोसी तथा पत्नी संतो देवी है। इनमे शिवचरण फौत हो चुका है जिसके पत्नी पार्वती, पुत्र देवेन्द्र, पुत्री कुमारी रचना व कुमारी निशा है। इसी प्रकार भरोसी भी फौत हो चुका है जिसके पत्नी सीता, पुत्र गोविन्द व पुत्री कुमारी रीना, कुमारी सीमा व कुमारी सपना है। वादिया संख्या 1 के ससुर एवं वादीगण संख्या 2 ता 5 के बाबा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादिया संख्या 2 के ससुर एवं प्रतिवादिया संख्या 3 ता 5 के बाबा किशनलाल पुत्र पून्या, गुर्जर निवासी मिर्जापुर की खातेदारी की भूमि हॉल ख0न0 58 रकबा 0.93 है0, ख0न0 1055 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1059 रकबा 0.33 है0, ख0न0 1206/311 रकबा 0.19 है0, ख0न0 1212/1055 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1214/1059 रकबा 0.13 है0 ग्राम मिर्जापुर मे स्थित है। वादिया संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 ता 5 के पिता भरोसी का वोटर लिस्ट, राशनकार्ड, परिचयपत्र इत्यादि मे उनके पिता कानाम गलती से रामसहाय दर्ज है जबकि भरोसी का रामसहाय से कभी कोई सम्बन्ध नही

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रहा है। रामसहाय मृतक किशनलाल का भाई है। इसलिए वादिया संख्या 1 के पति का नाम भरोसी पुत्र रामसहाय परिचय पत्र, राशनकार्ड इत्यादि मे गलत दर्ज चला आ रहा है। वादिया के पति भरोसी एवं प्रतिवादिया पार्वती के पति शिवचरण का इंतकाल किशनलाल से पूर्व हो चुका है। किशनलाल के मरने के बाद किशनलाल की छोडी हुई खातेदारी भूमि की विरासत प्रतिवादीगण के साथ वादीगण ने अपने नाम दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी से कहा एवं हल्का पटवारी ने विरासत का नामान्तकरण वादीगण के हक मे दर्ज करने से मना कर दिया तथा वादीगण से कहा कि राशनकार्ड, परिचयपत्र इत्यादि मे भरोसी के पिता का नाम रामसहाय दर्ज है, इसलिए तुम्हारे हक मे नामान्तकरण तस्दीक नही किया जावेगा। मृतक भरोसी, किशनलाल का प्राकृतिक पुत्र है यदि किशनलाल की विरासत प्रतिवादीगण के साथ वादीगण के हक मे तस्दीक नही की गई तो वादीगण को भारी नुकसान होगा, जिसकी पूर्ति संभव नही है। दिनांक 28.1.19 को हल्का पटवारी द्वारा वादीगण के हक मे नामान्तकरण तस्दीक नही करने से यह वादकारण पैदा हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर ग्राम मिर्जापुर मे स्थित भूमि ख0न0 58 रकबा 0.93 है0, ख0न0 1055 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1059 रकबा 0.35 है0, ख0न0 1206/311 रकबा 0.19 है0, ख0न0 1212/1055 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1214/1059 रकबा 0.19 है0 का वादीगण को हिस्सा 1/3 का, प्रतिवादिया संख्या 1 को हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को हिस्सा 1/3 का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि को दीगर जगह रहन वय नही करे और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 6 को रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे हेतु पाबंद फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

वादीगण न0 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 ने दिनांक 4.7.2019 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। इस राजीनामे मे पक्षकारो ने अंकित किया है कि भूमि ख0न0 58, ख0न0 1055, ख0न0 1059, ख0न0 1206/311, ख0न0 1212/1055, ख0न0 1214/1059 ग्राम मिर्जापुर मे वादीगण को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। मुताविक राजीनामा वादीगण दावा डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र के साथ वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2073–2076, वार्ड पार्षद वार्डन0 8 गंगापुर सिटी के लेटरपेड पर किशनलाल की वंशवृक्षावली एवं रामभरोसी पुत्र किशनलाल गुर्जर की मार्कशीट प्रस्तुत की है। इसके अलावा वादिया सीता बेबा भरोसी के तथा प्रतिवादिया संतो बेबा किशनलाल के बयान भी दर्ज कराये है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रकरण मे बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण ने राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम मिर्जापुर के अनुसार भूमि ख0न0 58 रकबा 0.93 है0, ख0न0 1055 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1059 रकबा 0.35 है0, ख0न0 1206/311 रकबा 0.19 है0, ख0न0 1212/1055 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1214/1059 रकबा 0.19 है0 किशनलाल पुत्र पून्या जाति गुर्जर की खातेदारी मे दर्ज है। वादिया सीता एवं प्रतिवादिया संतो के बयान के अनुसार किशनलाल की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके वारिसों में दो पुत्र शिवचरण व भरोसी तथा विधवा पत्नी संतो देवी है। इनमे शिवचरण की मृत्यु हो चुकी है। इसके वारिस पुत्र देवेन्द्र कुमार पत्नी पार्वती देवी एवं पुत्री कु0 रचना व कु0 निशा है। इसी प्रकार किशनलाल के पुत्र भरोसी का भी देहान्त हो चुका है। जिसके वारिस उसकी पत्नी सीता, पुत्र गोविन्द व पुत्रियॉ मीना, सीमा व सपना है। वार्ड पार्षद न0 8 नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा किशनलाल की वंशवृक्षावली जो दी है, उसमे भी किशनलाल के ये ही वारिस बताये गये है। इस प्रक़ार वादिया सीता व प्रतिवादिया संतो के बयानों तथा वार्ड पार्षद द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 मृतक किशनलाल के वारिस होने के कारण उसकी खातेदारी की भूमि की घोषणां अपने नाम कराने के अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 58 रकबा 0.93 है0, ख0न0 1055 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1059 रकबा 0.35 है0, ख0न0 1206/311 रकबा 0.19 है0, ख0न0 1212/1055 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1214/1059 रकबा 0.19 है0 ग्राम मिर्जापुर मे वादीगण संख्या 1 लगायत 5 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 3-12-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. सीता बेबा भरोसी, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. कु0 रीना पुत्री भरोसी, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. गोविन्द पुत्र भरोसी उम्र 15 साल
4. कु0 सपना पुत्री भरोसी उम्र 11 साल
5. कु0 सीमा पुत्री भरोसी उम्र 17 साल

नाबालिगान जरिए सरंक्षक मॉ सीता बेबा भरोसी, गुर्जर नि0 मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
——वादीगण

बनाम

1. संतो बेबा किशनलाल, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. पार्वती बेबा शिवचरण, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवचरण, उम्र 16 साल, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी जरिए संरक्षक मॉ पार्वती बेबा शिवचरण
4. कु0 निशा पुत्री शिवचरण, उम्र 11 साल, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी जरिए संरक्षक मॉ पार्वती बेबा शिवचरण
5. कु0 रचना पुत्री शिवचरण, गुर्जर निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
6. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्तीएवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —42/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री संतोष निराला, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 58 रकबा 0.93 है0, ख0न0 1055 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1059 रकबा 0.35 है0, ख0न0 1206/311 रकबा 0.19 है0, ख0न0 1212/1055 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1214/1059 रकबा 0.19 है0 ग्राम मिर्जापुर मे वादीगण संख्या 1 लगायत 5 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3-12-2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.01.15 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: